

प्रेसनोट

दिनांक 01.08.2025 थाना कोतवाली देहात,

जनपद गोण्डा ।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ग्राम सालपुर नहर पुलिया से मोतीगंज जाने वाले मार्ग से अभियुक्त देवी प्रसाद यादव उर्फ नान्हे यादव पुत्र रामदयाल यादव निवासी ग्राम गोलेपुरवा भुलभुलिया थाना कोतवाली देहात गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 75 टेबलेट अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2025 को थाना को0 देहात के उ0नि0 सौरभ कुमार मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि गश्त, क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग में खाना थे । गोण्डा - उतरौला मार्ग पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त देवी प्रसाद यादव उर्फ नान्हे यादव पुत्र रामदयाल यादव निवासी ग्राम गोलेपुरवा भुलभुलिया थाना कोतवाली देहात गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 75 टेबलेट अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां बरामद की गयी । थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 362/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. देवी प्रसाद यादव उर्फ नान्हे यादव पुत्र रामदयाल यादव निवासी ग्राम गोलेपुरवा भुलभुलिया थाना कोतवाली देहात गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 362/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01- 75 टेबलेट अल्प्राजोलम नशीली गोलियां

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 सौरभ कुमार
2. हे0का0 हरिशंकर यादव
3. हे0का0 देवानंद वर्मा
4. कां0 सर्वेश कुमार
5. कां0 कलीम अली जैदी

मीडिया सेल, गोण्डा ।

प्रेस नोट

दिनांक 01.08.2025

थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याअभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- रमेश चौहान पुत्र खुशीहाल चौहान नि0 गढ़ी माझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को ग्राम गढ़ी माझा में उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2025 को वादिनी श्रीमती सुरसती पत्नी नकछेद नि0 ग्राम त्योरासी पूरे बिहारी पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज मे लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी 04 वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ी माझा के रहने वाले रमेश चौहान के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उनकी लड़की को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 26.07.2025 को उसे गैस सिलेन्डर से जला कर मार दिया है। वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 01.08.2025 को विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रमेश चौहान पुत्र खुशीहाल चौहान को ग्राम गढ़ी माझा में उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रमेश चौहान पुत्र खुशीहाल चौहान नि0 गढ़ी माझा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-161/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रमाशंकर यादव
02. हेड का0 कलेन्द्र यादव
02. का0 रामप्रीत यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी की कई घटनाओं का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, चोरी करने के उपकरण, नगदी व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर चोर धर्मपाल मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी सिविल लाइन गायत्रीपुरम, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार कर कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, चोरी करने के उपकरण, नगदी व चोरी की मोटरसाईकिल को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 01.08.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शातिर चोर धर्मपाल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, जो चोरी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (फर्जी नंबर प्लेट सहित) से जा रहा था। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक पिट्टू बैग मिला, जिसमें चोरी के औजार, सोने-चांदी के जेवर, ₹7870 नकद, प्राचीन चांदी के सिक्के, कपड़े व अन्य सामग्री बरामद हुई। कुछ दिन पूर्व इसके दो साथियों सुनील चौधरी और खेमराज गिरि को कर्नलगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार पर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त अपराध की दुनिया के शातिर व सक्रिय सदस्य हैं, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी, लूट, नकबजनी व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त धर्मपाल मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी सिविल लाइन, गायत्री पुरम, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ने स्वीकार किया कि वह एक सक्रिय चोर गिरोह का सदस्य है, जो जनपद गोण्डा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रेकी कर योजनाबद्ध ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों — सुनील कुमार चौधरी (बलरामपुर), खेमराज गिरी व राम प्रताप गोस्वामी (बहराइच) एवं राधेश्याम (सैफई, इटावा) — के साथ मिलकर कुल 05 घटनाएं (महेश ज्वैलर्स कर्नलगंज, पूरेबदाचक कौड़िया, रामापुर कौड़िया, नौव्वा गांव इटियाथोक, व आर्यनगर खरगूपुर) करना स्वीकार किया। अभियुक्त ने बताया कि वे रात के समय सुनसान स्थानों या बंद दुकानों को निशाना बनाते थे और चोरी के दौरान सब्बल, पेचकस, रिंच आदि औजारों का प्रयोग करते थे। चोरी के बाद माल को आपस में बांट लिया जाता था या बेच दिया जाता था, तथा भागने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धर्मपाल मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी सिविल लाइन गायत्रीपुरम, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 62/25, धारा 331(4), 305a बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 87/25, धारा 305a बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 182/25, धारा 305, 324(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 136/25, धारा 305 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर (नं0: UP43AJ2964)
02. चोरी करने के उपकरण(01 अदद लोहे का सब्बल, 01 प्लास, 02 पेचकस, 01 पाइप रिंग, 01 इंच टेप,01 सफेद प्लास्टिक बोरी व सफेद-लाल पन्नी, 01 पिट्टू बैग)
03. सोने का लॉकेट।
04. 01 जोड़ी सोने की सुई-धागा (कान की बाली)
05. 01 प्लेट चांदी की
06. 01 चांदी की ब्रेसलेट
07. 04 चांदी की राखी
08. 03 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
09. 02 अदद बिछिया
10. 02 पुराने चांदी के सिक्के (1898 व 1918 अंकित
11. ₹7870 नकद
12. 01 मोबाइल NERD 600 (की-पैड वाला)
13. 02 लंगोट व 01 सैंडो बनियान

गिरफ्तारी का स्थान

सुख्खापुरवा रेलवे क्रॉसिंग तिराहा, थाना कर्नलगंज

अभियुक्त धर्मपाल मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0 129/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात गोण्डा।
- 02.मु0अ0सं0 389/2024 धारा 303(2), 317(2), बीएनएस थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ।
- 03.मु0अ0सं0 207/2013 धारा 380/411 आईपीसी थाना इटियाथोक गोण्डा।
- 04.मु0अ0सं0 719/2013 धारा 458/411 आईपीसी थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा ।
- 05.मु0अ0सं0 152/2013 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा ।
- 06.मु0अ0सं0 222/2008 धारा 380/411 आईपीसी थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा ।
- 07.मु0अ0सं0 776/2008 धारा 392/411 आईपीसी व 3(1) गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर गोण्डा ।
- 08.मु0अ0सं0 1105/2010 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना कोतवाली नगर गोण्डा ।
- 09.मु0अ0सं0 1088/2010 धारा 457/380 आईपीसी थाना कोतवाली नगर गोण्डा ।
10. मु0अ0सं0-276/25, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:

01. उ0नि0 राजीव कनौजिया।
02. उ0नि0 मानिकचन्द्र पटेल
03. उ0नि0 मो0 गुफराना।
04. का0 प्रखरा।
05. का0 अंकित यादवा।
06. का0 राहुल राठौर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.08.2025, थाना तरबगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की योजना बनाते 05 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, जनपद में हुई चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण, कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद मोबाइल, 01 अदद चाकू तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एक अदद वाहन पिकअप UP 42 AT 6410 बरामद:-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते 05 शातिर पशु चोरों 01. फारूख, 02. लक्ष्मण कुमार, 03. बन्ने नट, 04. सोनू व 05. उमेश कुमार नट को गिरफ्तार कर 01. मु0अ0स0 128/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर व 02. मु0अ0स0 190/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज से सम्बन्धित घटनाओं का अनावरण करते हुए चोरी में प्रयोग होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का नुकीली सरिया, 01 अदद नायलान रस्सी, एक अदद छोटा डण्डा आदि बरामद किया गया, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 244/2025 धारा 313 बीएनएस, 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 01.08.2025 को अपराध निरीक्षक राजकुमार यादव मय फोर्स रात्रिगस्त, क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना प्राप्त हुई की ग्राम गिरधरपुरवा में तरबगंज से डुमरियाडीह रोड नागनाथ पुरवा तिराहे पर एक खाली पिकअप खड़ी है जिसके पीछे बैठकर कुछ संदिग्ध लोग बातचीत कर रहे हैं। उक्त सूचना पर निरीक्षक राजकुमार यादव मय फोर्स मौके पर पहुंचकर आरोपी अभियुक्त 01. फारूख पुत्र सूरत उर्फ नजीर, 02. लक्ष्मण कुमार पुत्र मुस्करीदीन, 03. बन्ने नट पुत्र जन्त्री नट, 04. सोनू पुत्र सजन नट व 05. उमेश कुमार नट पुत्र शोरा नट को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जामा तलाशी पर एक अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद चाकू तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का नुकीला सरिया(सबरी), नायलान की सफेद रस्सी आदि बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये लोग पशु चोरी करने की योजना बना रहे थे कि पुलिस द्वारा चोरी योजना बनाते समय पकड़ लिया गया। दिनांक 11.04.2025 की रात थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम चंदईपुरवा डेहरास में एक भैंस व पड़वा की चोरी की थी, तथा दिनांक 23.06.2025 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नैपुरिया बहादुरा से एक भैंस व पड़िया की चोरी किये थे। इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पशु चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फारूख पुत्र सूरत उर्फ नजीर निवासी ग्राम गंभौरा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा हालपता शेखपुरा थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
02. लक्ष्मण कुमार पुत्र मुस्करीदीन निवासी ग्राम लालेपुरवा अमदही थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा
03. बन्ने नट पुत्र जन्त्री नट निवासी सुब्बागंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. सोनू पुत्र सजन नट निवासी सुब्बागंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. उमेश कुमार नट पुत्र शोरा नट निवासी सुब्बागंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 244/2024 धारा 313 बीएनएस, 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0 128/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0 190/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर

02. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

03. 02 अदद मोबाइल

04. 01 अदद चाकू

05. एक अदद वाहन पिकअप UP 42 AT 6410

06. 420 रु० नगद

चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद-

01. 01 अदद लोहे की नुकीली सरिया (सबरी)

02. 01 नायलान की रस्सी सफेद 07 मीटर

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अपराध निरीक्षक राजकुमार यादव

02. उ0नि0 वीरेन्द्र प्रसाद पाल

03. उ0नि0 इन्द्रेश यादव

04. उ0नि0 रामआसरे यादव

05. हे0का0 अजय सिंह

06. हे0कां0 गयापति त्रिपाठी

07. हे0कां0 शैलेन्द्र यादव

08. का0 वेदप्रकाश वर्मा

09. का0 अनिल यादव

10. का0 अंकित राय

11. कां0 पंकज यादव

अभियुक्त फारूख पत्र सरत उर्फ नजीर का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 79/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

02. मु0अ0सं0 200/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

03. मु0अ0सं0 256/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

04. मु0अ0सं0 297/24 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना छावनी जनपद बस्ती ।

05. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

06. मु0अ0सं0 190/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा

07. मु0अ0सं0 244/25 धारा 313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

अभियुक्त लक्ष्मण कुमार पत्र मस्करिदीन का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 297/24 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना छावनी जनपद बस्ती ।
02. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0 190/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा
04. मु0अ0सं0 244/25 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

अभियुक्त बन्ने नट पत्र जन्त्री नट का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 190/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0 244/25 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त सोन पत्र सजन नट का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 190/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0 244/25 धारा 313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।